चारा घोटाला एक विश्लेषण

1990 के दशक में बिहार में हुये चारा घोटला के अभिकर्ता को मिल रही सजा के संदर्भ में प्रभात खबर में प्रकाशित मेरे लेख की प्रतिक्रिया में ''लालू प्रसाद'' के सरकार में जल संसाधन मंत्री जगदानंद सिंह की प्रतिक्रिया प्रभात खबर ने कई किस्तों में प्रकाशित किया है ।

अपने लंबे लेख में जगदा बाबू ने प्रतिपादित करने का प्रयास किया है कि चारा घोटाला उजागर होने में ''लालू प्रसाद'' मंत्री मंडल की त्रिसदसीय उप समिति के सदस्य के नाते उनकी निर्णायक भूमिका रही है और व घोटाला उजागर होने के साक्षी है । तत्कालीन मंत्रीमंडल उप समिति के सदस्यों सर्वश्री तुलसी सिंह, जगदांनद सिंह और शंकर प्रसाद टेकरीवाल की बिहार की बदहाल स्थिति के बारे में चिन्ता के कारण वार्षिक बजट व्यवस्था की समीक्षा, बजट प्रक्रिया में परिवर्तन और वित्त आयुक्त बी0 एस. दूबे के ईमानदार प्रयत्न के फलस्वरूप पशुपालन घोटला का पर्दाफाश हुआ । उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि 1996 के पहले सरकार घोटला पर चुप थी तो विधान सभा, विधान परिषद, महालेखाकार, लोकसभा समिति विपक्ष, पत्रकार एवं राज्य के बुद्धिजीवी कर रहे थे ? मुझे ना तो एक लोक सेवक के रूप में बी0 एस0 दुबे की ईमानदारी और कर्मठता पर शक है और ना ही पहले मंत्री और अब सांसद की भूमिका में लालू राबड़ी के निजी हितों के संरक्षक सिपहसलार के रूप में जगदानंद सिंह की काबलियत पर । इनका यह लेख भी इसी कोशिश की एक कड़ी है । जगदानंद जी शायद भुल गये है अथवा हिटलर के सिपहसलार ''गोयेबल'' के ''थेथरलॉजी'' सिद्धान्त पर उन्हें जरूरत से ज्यादा भरोसा हो गया है कि बार–बार कहने पर लोग झुठ को भी सच मान लेने पर विवश हो जाते हैं । जितनी बातों का उल्लेख जगदानंद जी ने अपने लेख में किया है, वे सभी बाते लालू जी के विद्वान वकील उस समय पटना उच्च न्यायालय के सामने कह चुके हैं, जब न्यायालय में चारा घोटला की जांच सी0बी0आई0 से करने की मांग करने वाली हमारी जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही थी । माननीय उच्च न्यायालय ने इन थोपी दलीलो को शिरे से खारिज कर दिया । इस बारे में 11 मार्च 1996 को दिये गये फैसले पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी 18 मार्च 1996 को मुहर लगा दिया और कहा कि सी0 बी0 आई0 जांच पटना उच्च न्यायालय की मॉनिटरिंग में होगी । जगदानंद जी का यह बडबोलापन कि चारा घोटला उजागार होने के वे साक्षी है और इसे उजागर करने में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाया है, ठीक वैसा ही है जैसा कोई मुंशी कहे की वह विहान होने का साक्षी है और उसने बाग देकर सक्रिय भूमिका निभाया है ।

उल्लेखनीय है कि 1994–95 में पशुपालन पालन विभाग द्वारा कोषागार से करीब 171 करोड़ रूपया की अवैध निकासी हुई थी । इनके पुर्व के वर्षो में भी भारी मात्रा में अवैध निकासी हुई थी जिसका विवरण इस संचिका में था ।

1996 में पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर पशुपालन घोटाला की जांच सी0बी0आई0 ने आरंभ किया तो इस संचिका की खोज शुरू हुई । वित्त विभाग ने योजना विभाग से संचिका लौटाने की मांग किया । आरंभ में योजना विभाग ने इसकी जिम्मेदारी वित्त विभाग पर डाल दिया

और कहा कि संचिका लौटा दे गया है । इसे ढुंढने की जिम्मेदारी वित्त विभाग की है । परन्तु तत्कालीन वित्त आयुक्त ने इस बारे में 14 अगस्त 1996 को वित्त मंत्री को पत्र लिखा तब उत्तर आया कि 1995 में कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था और योजना मंत्रालय का कार्यालय राज्यपाल के सलाहकार को दे दिया गया था उसके बाद से संचिका नहीं मिल रही है । स्पष्ट है कि मंत्रीमंडल के तीन सदस्यीय उपसमिति को 1994 में ही पशुपालन विभाग में हो रही अवैध निकासी का पता चल गया था । मगर इसे रोकने के बदले संचिका ही गायब कर दी गई । ऐसा क्यों हुआ इस बारे में श्री जगदानंद सिंह और श्री वी0 एस0 दुबे ही दे सकते हैं ।

श्री जगदानंद जी ने सवाल किया है कि 1996 में घोटाला उजागर होने से पहले अखबार और पत्रकार चुप क्यों थे ? उन्हें पता नहीं है या वे जान बूझकर अंजान बन रहे हैं कि 1992 में जब रांची में पदस्थापित आयकर विभाग के पदाधिकारी तारकेश्वर सिंह ने रांची हवाई अड्डे पर जहाज रोकवा कर छापेमारी किया था और पशुपालन घोटालेबाजों के सामान से करीब 3 करोड़ अवैध रूपये बरामद किया था तो इसके बाद रांची से प्रकाशित हिन्दी दैनिक प्रभात खबर ने कई दिन तक पशुपालन माफिया की करतुतों के बारे में खबर प्रकाशित किया था । परन्तु जगदानंद सिंह की सरकार ने घोटाला पर पर्दा डालने और घोटालोबाजों को बचाने का काम किया था । तत्कालीन मुख्यमंत्री लालु प्रसाद या उनके मंत्री जगदानंद सिंह ने इन खबरों का संज्ञान नहीं लिया ।

रांची हवाई अड्डा पर आयकर अधिकारियों ने 1 फरवरी 1993 को हवाई जहाज को रोकवा कर पशुपालन घोटालाबाज विजय मल्लिक, के0 एन0 प्रसाद और उनके परिवार का सामान जहाज में उतरवाया और उन्हें भी नीचे उतारकर पुछताछ के लिए रोक लिया । उनके सुटकेस खोले गये तो उसमें से 3 करोड़ रूपये मिले और उनकी पत्नी के पास से सोना की 55 भारी चुड़ियाँ बरामद हुई जिनमें काफी संख्या में हीरे जड़े थे । तत्कालीन आयकर अन्वेषण विभाग के अतिरिक्त निदेशक रविन्द्र कुमार ने छायामारी और बरामदगी का विस्तृत ब्यौरा कानपुर स्थित अपने निदेशक डॉ0 प्रेम प्रकाश लक्कड़ को भेजा था जिसमें जब्त की गई डायरियों में पैसे के लेन–देन का ब्यौरा भी था इस प्रतिवेदन की एक प्रति बिहार सरकार के वित्त आयुक्त और वित्त मंत्री को भी भेजा गया था । तब श्री लालु प्रसाद मुख्यमंत्री भी थे और वित्त मंत्री भी । ये खबर कई दिनों तक रांची से प्रकाशित अखबार प्रभात खबर में छपी परन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई । इसके पहले 29 मार्च 1992 में भी आयकर अधिकारियों ने पशुपालन घोटालाबाजों के ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ों रूपये बरामद किये थे । उस समय अतिरिक्त निदेशक अन्वेषण, आयकर के पद पर स्थापित श्री सुधीर कुमार के नेतृत्व में छापामारी हुई थी इस समाचार को भी प्रभात खबर सहित बिहार के तमाम अखबारों में प्रकाशित किया परन्तु घोटलाबाज और उनके संरक्षकों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई । इसके बावजुद भी जगदानंद सिंह घोटाला होते देख चुप रहने का आरोप अखबारों और पत्रकारों पर लगा रहे है तो, उनके समझ को दाद देनी पड़ेगी ।

इसके बाद 15 जुलाई 1994 को पटना से प्रकाशित अखबार टाईम्स ऑफ इंडिया ने ''रूपीस फिफ्टी लाख बगलिंगिन एनीमल हसबैण्डरी डिपार्टमेन्ट'' शीर्षक से एक खबर छापा था । इस खबर के बारे में श्री जगदानंद सिंह की सदस्य वाली मंत्रीमंडलीय उपसमिति के अध्यक्ष श्री

तुलसी सिंह और तत्कालीन वित्त आयुक्त एस0 एन0 सिन्हा के बीच पीत पत्रों का आदान प्रदान हुआ था । इस पर कार्रवाई करने के लिए बैठक की तिथि भी तय हुई थी यानि बी0एस0 दूबे के वित्त आयुक्त नियुक्त होने के पहले मंत्रीमंडल उपसमिति के सदस्यों को घोटाले की जानकारी अखबारों के माध्यम से हो गयी थी पर वे चुप रहे । आखिर क्यों ? किसके दबाव पर ?

जगदाबाबु के मुताबिक जब वी0 एस0 दूबे वित्त आयुक्त बने और मंत्रीमंडली उपसमिति के निर्देश पर फार्मुला बजट की जगह वास्तविक बजट बनाने के लिए प्रक्रिया की समीक्षा आरंभ हुई तब पशुपालन विभाग द्वारा सरकारी खजाने की लुट का पता उन्हें चला । कारण की विधानसभा, विधान परिषद, महालेखाकार, लोक लेखा समिति आदि संस्थायें चुप थी ।

ऐसा नहीं कि विधान सभा और महालेखाकार के कार्यालय ने चारा घोटाला में पशुपालन विभाग के अन्तर्गत हो रही लूट के बारे मे तत्कालीन बिहार सरकार का ध्यान आकृष्ट नहीं कराया, जैसा कि श्री जगदानंद सिंह का आरोप है । तत्कालीन उप महालेखाकार पी0एस0अय्यर ने 5 अप्रैल 1990 को बिहार सरकार के क्षेत्रीय विकास आयुक्त (आर0डी0सी0), रांची एम0सी0 सुवर्णो का ध्यान पत्र लिखकर पशुपालन घोटाला में हो रही अधिक निकासी की ओर आकृष्ट कराया था । इस पत्र की प्रति उन्होंने पशुपालन विभाग,बिहार सरकार के सचिव तथा वित्त विभाग को भी भेजा था । इस पत्र में विस्तारपूर्वक वर्णन था कि पशुओं की खरीद, परिवहन तथा चारा और दवा आदि की खरीद में घोर भ्रष्टाचार हो रहा है । जिन वाहनों पर गाय, भैस, सांढ़ आदि पशु हरियाणा और पंजाब से ढोकर लाये बताये गये है, वे वाहन जांच के उपरान्त वास्तव में स्कुटर, टेम्पो, जीप, कार और तेल के टैंकर पाये गये हैं । तत्कालिन मंत्री पशुपालन विभाग श्री राम जीवन सिंह ने इसकी जांच सी0 बी0 आई0 से कराने के लिए 18 अगस्त 1990 को मुख्यमंत्री लालू प्रसाद से अनुरोध किया और संचिका में इस आशय की टिप्पणी दर्ज की । श्री लालु प्रसाद ने इसकी जांच राज्य निगरानी ब्युरो का आदेश संचिका पर दिया । इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉ0 जगन्नाथ मिश्रा ने मुख्यमंत्री लालु प्रसाद को एक पत्र 15 नवम्बर 1990 को लिखा और सलाह दिया कि निगरानी पुलिस से जांच कराने पर अधिकारियों को परेशान होना पड़ेगा इसलिए इसकी जांच क्षेत्रीय विकास आयुक्त से कराई जाये । श्री लालु प्रसाद ने यह पत्र मुख्य सचिव को भेज दिया गया और जांच दबा दी गई ।

विधान सभा और विधान परिषद में चारा घोटाला का मामला 1990 से 1996 के बीच कई बार उठा । पशुपालन विभाग में भ्रष्टाचार का मामला संसद सदस्यों द्वारा भी उठाया गया । तत्कालीन विधायक नवल किशोर शाही के निवेदन सं0 1160/85 पर बिहार विधान सभा की निवेदन समिति ने जांच किया और पाया कि पशुपालन विभाग में 50 करोड़ से अधिक की अवैध निकासी हुई है । निगरानी समिति के प्रतिवेदन में 3 आई0ए0एस0, 19 पशुपालन विभाग के कर्मचारी और 15 आपूर्तिकर्ताओं को दोषी पाया गया था । इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई । इस विषय में विधायक सोनाधारी सिंह ने 29 जून 1989 को एक पत्र सरकार को लिखा इस पर निगरानी ब्यूरो की तत्कालीन एस0पी0 कुमुद चौधरी ने जांच किया पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई रोक दी गयी । निवेदन समिति के प्रतिवेदन में पशुपालन घोटाला के अभियुक्त डॉ0 श्याम बिहारी सिन्हा को मुख्य रूप से दोषी पाया गया था । इनके विरूद्ध अनियमित नियुक्ति का आरोप भी तत्कालीन निगरानी पी0 के0 सिंह के निर्देश पर हुई जांच में नहीं पाया गया था ।

परन्तु मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने डॉ0 श्याम बिहारी सिन्हा, डॉ0 जी0एन0 शर्मा आदि घोटाला के अभियुक्तों को अवकाश प्राप्त करने के बाद सेवा अवधि का विस्तार दे दिया । विधायक श्री रामेश्वर पासवान ने पशुपालन विभाग में हो रही लुट की ओर मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ ध्यान आकृष्ट किया तो श्री लालु प्रसाद ने 21 जुन 1990 को यह अनुरोध पत्र निगरानी विभाग में भेज दिया । निगरानी ब्यूरो ने 9 अगस्त 1990 को इसकी जांच के लिये मुकदमा सं0 एस0 आर0 34/90 दर्ज किया परन्तु जांच रोक दी गयी । सी0बी0आई0 ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश से मार्च 1996 में चारा घोटाला की जांच शुरू किया तो यह संचिका बरामद हुई । सी0बी0आई0 ने इस बारे में मुकदमा सं0 आर0सी0 47/96 दर्ज कर जांच किया तो पाया गया कि इस मामले में 180 करोड़ रू0 की अवैध निकासी सरकारी खजाना से पशुपालन माफिया ने किया है ।

बिहार विधान परिषद के सदस्य कृपानाथ पाठक और शत्रुधन प्रसाद सिंह ने ध्यानाकर्षण सूचना सं0 10 द्वारा 18 मार्च 1991 को पशुपालन विभाग में भ्रष्टाचार का मामला उठाया तब इस पर 22 मार्च 1991 को पशुपालन मंत्री विद्या सागर निषाद ने जवाब दिया कि इस मामले में लोक लेखा समिति जांच कर रही है जांच के नतीजा के अनुसार कार्रवाई की जायेगी । विधान परिषद सदस्य डॉ0 नीलाम्बर चौधरी ने विधान परिषद में सवाल पुछा था कि क्या आयकर अधिकारियें ने रांची में छापा मार कर पशुपालन माफिया के यहां से 20 करोड़ रूपया जब्त किया है और क्या इस बारे में रांची के उपायुक्त सुधीर कुमार ने कोषागार से धोखाधड़ी पुर्व निकासी का प्रतिवेदन सरकार से भेजा है तो पशुपालन मंत्री विद्या सागर निषाद ने जवाब दिया कि बिहार में कोई पशुपालन माफिया नहीं है और विद्या सागर को आयकर छापेमारी के विषय में कोई जानकारी नहीं है । डॉ0. नीलाम्बर चौधरी ने एक अन्य सवाल में सरकार से पूछा था कि अगस्त 1993 से मार्च 1995 के बीच घोर वित्तीय संकट होने के बाद भी पशुपालन माफिया ने खंजाना से 72 करोड़ रूपया की अवैध निकासी किया है । तत्कालीन मंत्री भोला राय तुफानी ने विधान परिषद को उत्तर देने के लिए तैयार किये गये जवाब में इससे इंकार किया । परन्तु पशुपालन सचिव बेक जुलियस ने एक अलग नोट लिखा की मंत्री के जवाब का आधार सही नहीं है । अवैध निकासी हुई है इस बारे में विधन परिषद को सही स्थिति से अवगत करायी जानी चाहिये । सरकार ने उनके जवाब को नहीं माना और आदेश दिया कि विधान सभा में सवाल आये तो पहले वाला उत्तर ही दिया जायेगा ।

विधान परिषद छात्रपति शाही मुण्डा ने 8 जुलाई 1993 को वित्त मंत्री से पशुपालन माफिया द्वारा अवैध निकासी के बारे मे सवाल पुछा और इसकी जांच सी0बी0आई0 से कराने की मांग की । सरकार ने जवाब दिया कि इस बारे में एक अखबार में छपी खबर की जानकारी है । इस पर जांच हुई है । जांच ने अवैध निकासी प्रमाणित नहीं हुई है । यह निकासी अवैधएवं कपटपूर्ण नहीं है । संबंधित रिकार्ड महालेखाकार के पास भेज दिया गया है इसलिए इसकी विस्तार से जानकारी देना संभव नहीं है । छत्रपति शाही मुण्डा के सवाल का जवाब कोषागार निदेशक एस0एस0 शर्मा और वित्त आयुक्त फुलचंद सिंह ने तैयार किया था और 18 जुलाई 1993 को तत्कालीन जल संसाधन मंत्री श्री जगदानंद सिंह ने इस जवाब को सम्पुष्ट किया था, जिन्हें मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री लालु प्रसाद की ओर से विधान परिषद में जवाब देना था । इससे स्पष्ट है कि श्री जगदानंद सिंह को पशुपालन माफिया के द्वारा की जा रही अवैध

निकासी की जानकारी उसी समय हो गयी थी । यदि श्री सिंह उसी समय कपटपुर्ण निकासी की गहराई से जांच करा लेते तो पशुपालन घोटाले में भंडाफोड़ का श्रेय उन्हें मिल जाता ।

बिहार राज्य निगरानी ब्युरो के प्रशाखा पदाधिकारी श्री उमेश प्रसाद सिंह, जिन्हें सी0 बी0 आई0 ने घोटाला उजागर होने के बाद गिरफ्तार किया था, का बयान 2 अक्टूबर 1996 के ''टाइम्स ऑफ इंडिया'' के पटना संस्करण में छपा था कि उन्होंने 1994 में उच्चाधिकार प्राप्त मंत्री मंडलीय उपसमिति के सदस्य श्री जगदानंद सिंह को 1994 में मिल कर बताया था कि पशुपालन विभाग में भारी पैमाने पर खजाना से अवैध निकासी हो रही है परन्तु उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया ।

श्री जगदानंद सिंह ने इस खबर का खंडन भी नहीं किया । इसलिये उनका यह कहना कि पशुपालन घोटाला के बारे में उन्हें तब जानकारी मिली जब वे श्री वी0 एस0 दुबे के साथ मिलकर लालु प्रसाद के निर्देश पर फार्मुला बजट की जगह वास्तविक बजट बनाने की कसरत कर रहे थे ।

भाजपा विधायक दल के तत्कालीन मुख्य सचेतक श्री सुशील कुमार मोदी ने टाईम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के आधार पर विधान सभा में पशुपालन द्वारा 1300 करोड रूपया के अवैध निकासी का सवाल मार्च 1993 में उठाया था । तत्तकालीन मुख्यमंत्री श्री लालु प्रसाद ने सदन को आश्वस्त किया की अखबार में छपी खबर का पता करेंगे, सही आंकड़ा बतायेंगे, कहाँ खर्च हुआ कैसे खर्च हुआ इस बारे में विस्तार से बतायेंगे । पर उनका यह आश्वासन पुरा नहीं हुआ । संचिका वित्त विभाग में दफन हो गयी । एक बार तो विधान सभा में मुख्यमंत्री के नाते श्री लालु प्रसाद ने यहाँ तक कह दिया की सी0बी0आई0 क्या वे इसकी जांच यु0एम0 ओ0 सेकरा देंगे । इन सभी मामलों में 1990 से ही दोषी पाये जाने वाले पशुपालन विभाग के अधिकारी डॉ0 राम राज राम को निदेशक बनाने के लिए श्री लालु प्रसाद ने मुख्यमंत्री बनने के पहले भी कई बार उस समय के मुख्यमंत्रियों से सिफारिश किया । जबकि डॉ0 आर0 एस0 शर्मा वरीयतम पदाधिकारी के नाते निदेशक पद के दावेदार थे । इनकी वरीयता को उच्चतम न्यायालय ने भी सम्पुष्ट किया । डॉ0 शर्मा की जगह डॉ0 राम राज राम को पशुपालन विभाग का निदेशक बनाने के लिए उन्होंने 1म अगस्त 1980, 23 सितम्बर 1988, 23 जुन 1989 और 1म जनवरी 1990 को तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ0 जगन्नाथ मिश्रा और सत्येन्द्र नारायण सिन्हा को लोकदल विधायक दल के नेता और प्रतिपक्ष के नेता के पक्ष में पत्र लिखकर सिफारिश किया यानि श्री लालु प्रसाद की सांठ–गांठ पशुपालन माफिया के साथ उनके मुख्यमंत्री बनने के पहले से थी । पशुपालन विभाग के एक अन्य आरोपी दयानंद कश्चप को श्री लालु प्रसाद ने 13 अप्रैल 1993 को रांची जिला 20सुत्री का उपाध्यक्ष बना दिया ।

पशुपालन माफिया के साथ श्री लालु प्रसाद के संबंध अत्यंत घनिष्ट हो गये थे इसका एक प्रमाण है कि श्री लालु प्रसाद की सुपुत्रियों का नामांकन रांची के बिशप वेप्टकॉट स्कुल में हुआ तो पशुपालन माफिया के सरगना डॉ0 श्याम बिहारी सिन्हा को उन्होंने लोकल गार्जियन का भार सौंप दिया । एक अन्य पशुपालन घोटाला अभियुक्त डॉ0 आर0 के राणा का नाम भी श्री लालु प्रसाद के पुत्रियों के अभिभावक के रूप में विशप वेप्टकॉट स्कुल के रजिस्टर में दर्ज है ।

इतना ही नहीं पशुपालन घोटाला के एक आपूर्तिकर्त्ता दीपेश चांडक के भतीजा रवि मेहता के आवेदन पर एक टेलीफोन संख्या 502555 रांची स्थित डॉ0 श्याम बिहारी सिन्हा के निवास पर लगाया गया । रांची स्थित डॉ0 श्याम बिहारी सिन्हा के निवास पर लगे इस फोन से पटना स्थित श्री लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री आवास पर लगे दूरभाष सं0 224129 पर अक्सर बातचीत होते रहती थी ।

बिहार विधान सभा और विधान परिषद के साथ ही बिहार सरकार के पशुपालन विभाग में भ्रष्टाचार और अनियमितता का मामला लोक सभा और राज्य सभा में भी उठते रहा । भाजपा सांसद ललित उराँव द्वारा 30 मई 1995 को लोकसभा में पुछे गये प्रश्न सं0 7751 जवाब के लिये बिहार सरकार के पास अगस्त 1995 में आया इस बारे में तत्कालीन मंत्री, पशुपालन विभाग, बिहार सरकार श्री भोला राम तुफानी की तरफ से लोकसभा सचिवालय को उत्तर भेजा गया कि पशुपालन विभाग में कोई माफिया नहीं है, कोई गबन या भ्रष्टाचार नहीं है इसलिए इस बारे में जांच का सवाल ही नहीं उठता है । इसी तरह राज्य सभा के दो सदस्यों के0एम0 मगरोरा और जी0एच0सिंह ने बिहार के छोटानागपुर इलाके में पशुपालन विभाग की योजनओं में भ्रष्टाचार और अनियमितता का सवाल उठाया । राज्य सभा का यह सवाल सं0 634 दिनांक 4 अगस्त 1995 उत्तर के लिए बिहार सरकार के पास आया तो बिहार सरकार ने पशुपालन विभाग में भ्रष्टाचार और अनियमितता से इंकार कर दिया । बिहार से लोकसभा के सदस्य श्री रामशरण यादव द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त को पशुपालन विभाग में भ्रष्टाचार और लुट की शिकायत का एक पत्र भेजा । केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निदेशक ने 27 जुलाई 1993 को यह पत्र जांच के लिये बिहार के मुख्य सचिव के पास भेज दिया । इस शिकायती पत्र के साथ रांची हवाई अड्डे पर आयकर विभाग द्वारा की गई छापेमारी के दौरान बरामद करोड़ों रूपया, निगरानी का मुकदमा सं0 34/90 बिहार विधान सभा की निवेदन समिति का प्रतिवेदन सं0 1160/85 तथा श्याम बिहारी सिन्हा, के0एम0 प्रसाद आदि के भ्रष्ट कारनामों का पुलिंदा संलग्न था । पशुपालन मंत्री चन्द्रदेव वर्मा ने यह पत्र 11 दिसम्बर 1993 को देखा और इसे दबा दिया । इसके पहले इस पत्र पर पशुपालन विभाग के अपर सचिव इन्दू भूषण पाठक ने 14 अक्टूबर 1995 को जांच का आदेश दे दिया था जिसे विभागीय सचिव महेश प्रसाद ने सम्पुष्ट कर दिया, परन्तु मंत्री स्तर पर यह पृष्ठ दबा दिया गया । 4 जून 1993 को पटना से प्रकाशित एक अखबार में खबर छपी थी कि प्रतिबंध के बावजुद पशुपालन माफिया ने 1200 करोड रूपया की अवैध निकासी कर लिया है । श्री सुशील कुमार मोदी ने इस खबर के आधार पर सवाल किया, सरकार से स्पष्टीकरण मांगा और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग किया परन्तु श्री लालु प्रसाद की सरकार ने इसका संतोषजनक जवाब नहीं दिया ।

विधायक श्री उदय नारायण राय द्वारा विधान सभा में पूछा गया एक सवाल पशुपालन विभाग में 21 दिसम्बर 1995 को पहुंचा इसमें पुछा गया था कि 1991–92 और 1992–93 को मिला कर पशुपालन विभाग का बजट केवल 94 करोड़ रूपया का था जबकि इसके विरूद्ध 232 करोड़ रूपया की निकासी कर ली गयी है । सरकार ने इस पर चुप्पी साध थी । इसके पूर्व 7 जून 1993 को मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की अध्यक्षता मे बिहार के सभी जिलाधिकारियों की एक बैठक पटना में हुई जिसमें सरकारी खंजाने से निकासी की समीक्षा की गई । बैठक में चाईबासा के जिला पशुपालन अधिकारी डॉ0 बी0एन0 शर्मा द्वारा अवैध निकासी साबित हो गयी । इसी

तरह मंत्री मंडलीय उपसमिति के अध्यक्ष और बिहार के तत्कालीन योजना मंत्री तुलसी सिंह 18 जुलाई 1994 को पशुपालन निदेशक से खंजाना से निकासी तथा दवा, चारा आदि का क्रय करने में विगत तीन साल में हुये खर्च का हिसाब मांगा । उन्होंने इस संदर्भ में डॉ0 शिव बालक चौधरी द्वारा की गई जांच का प्रतिवेदन भी मांगा यह मांग उन्होंने 15 जुलाई 1994 को इस बारे में टाईम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के आलोक में मांगा, ताकि मंत्री मंडलीय उपसमिति इस पर विचार कर सके । डॉ0 शिव बालक चौधरी ने 29 जून 1994 को दिये अपने जांच प्रतिवेदन में डॉ0 शेष मुनि राम सहित कई अधिकारियों को दोषी पाया था परन्तु इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई ।

रांची में पदस्थापित निगरानी ब्यूरो के इस्पेक्टर विधु भुषण द्विवेदी ने 29 मई 1992 को निगरानी के महानिरीक्षक को एक पत्र भेजा था और सूचित किया था कि पशुपालन विभाग के अधिकारियों और आपूर्तिकर्त्ताओं के यहाँ आयकर अधिकारियेां द्वारा की गई छापेमारी में काफी अवैध धन बरामद हुआ है । निगरानी के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जी0 नारायण ने यह पत्र आई0 जी0 निगरानी के पास भेज दिया । आई0 जी0 डी0 पी0 ओझा ने रांची के निगरानी एस0 पी0 से इस बारे में रिपोर्ट मांगा । निगरानी के रांची एस0 पी0 ब्रजनन्दन प्रसाद सिंह विकट ने इंस्पेक्टर बी0 बी0 द्विवेदी के प्रतिवेदन को सही ठहराया और अनुशंसा किया कि आयकर जांच के प्रतिफल के अनुसार इस मामले में कार्रवाई किया जाये, विधु भूषण द्विवेदी ने अपने प्रतिवेदन में श्री लालू प्रसाद की संलिप्तता पशुपालन घोटाला में होने की सूचना भी अपने प्रतिवेदन में दिया था । उन्होंने उच्च पदाधिकारियेां को बताया कि उन्हें अन्य अधिकारियों पर भरोसा नहीं था । इसलिए उन्होने अपना प्रतिवेदन सीधे डी0 जी0 निगरानी को भेजा । बिहार भ्रष्टाचार विरोधी समिति के अध्यक्ष डॉ0 सुरजीत सिंह ने मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पटना की अदालत में मुकदमा सं0सी0 22/1995 दायर कर पशुपालन विभाग में अवैध निकासी, अवैध नियुक्ति एवं प्रोन्नति, गबन एवं रिश्वतखोरी की शिकायत किया था और सबुत पेश किया था कि इसका दुमका का क्षेत्रीय पशुपालन निदेशक द्वारा 190करोड़ रू0 की अवैध निकासी की गई है मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की अदालत ने इस मामले की जांच का आदेश दिया । यह आदेश राज्य निगरानी ब्यूरो के कार्यालय में 27 सितम्बर 1995 को पहुंचा । परन्तु जांच रोक दी गई । यह संचिका भी पटना हाई कोर्ट द्वारा पशुपालन घोटाला की जांच सी0बी0आई0 से कराने के निर्णय के बाद उपर आई और अवैध निकासी पुष्टि हुई । उड़ीसा ड्रग एण्ड केमिकल के एम0डी0 एस0 सी0 कक्कड़ ने पशुपालन विभाग, बिहार सरकार द्वारा दवा की खरीद में गडबडी शिकायत तत्कालिन पुलिस महानिदेशक, डी0 एम0 सहाय के पास भेजा । श्री सहाय ने टीम बनाकर इसकी जांच करने का आदेश दिया, परन्तु यह आदेश लागू नहीं हुआ ।

इसी तरह बिहार राज्य अर्द्ध सरकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश मेहता ने अक्टूबर 1993 में, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ के महासचिव ओम प्रकाश सिंह ने 1993 में, जिला समता पार्टी के विवेकानन्द शर्मा ने 1994 में पशुपालन विभाग में हो रही अवैध निकासी का मामला उजागर किया था, परन्तु राज्य सरकार ने इसकी समुचित जाँच नहीं कराया ।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि पशुपालन घोटाला की जानकारी श्री लालू प्रसाद को मुख्य मंत्री बनने से पहले थी । उनके मुख्यमंत्री काल में अवैध निकासी में बेतहासा वृद्धि हुई,

उस समय के मुख्य सचिव ए0 के0 बसाक ने घोटाले पर पर्दा डालने में श्री लालू प्रसाद की भरपूर मदद की फलस्वरूप लालू प्रसाद ने मुख्य सचिव पद पर श्री बसाक को तीन बार सेवा विस्तार अवधि का लाभ दिया । दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर मंत्रीमंडलीय उप समिति के संयोजक तुलसी सिंह और सदस्य श्री जगदानंद सिंह को भी पशुपालन विभाग में अधिकायी निकासी की जानकारी 1993 में ही हो गयी थी । 1985, 1990 और 1995 में गठित बिहार विधान सभा के कार्यकाल में पशुपालन माफिया और पशुपालन घोटाला से जुड़े सवाल कई बार उठे । बिहार विधान परिषद में भी कतिपय सदस्यों ने इस घोटाला के विरूद्ध पूरजोर सवाल उठाया । बिहार सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के वित्त आयुक्त को उस समय भेजे गये प्रतिवेदन में तथा बिहार सरकार के वार्षिक बजट के वास्तविक व्यय, पुनरीक्षित व्यय और बजट अनुमान के आकड़ों पर सरसरी नजर डालने से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि पशुपालन विभाग में बजट प्रावधान से काफी अधिक राशि की निकासी होती रही है इसलिए श्री जगदानंद सिंह की यह टिप्पणी घोर विस्मयकारी और पाखंड पूर्ण है कि पशुपालन घोटाला की जानकारी उनके प्रयत्नों से 1996 में हुई तथा वे पशुपालन घोटाला उजागर होने के साक्षी है और घोटाला उजागर होने में उनकी सक्रिय भागीदारी है ।

अन्तर इतना ही है कि 1990–95 के बीच मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त के पद पर रहे प्रशासनिक अधिकारी मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री, लालू प्रसाद के दवाब में चुप्पी साधे रहे जबकि जुलाई 1995 में वित्त आयुक्त नियुक्त होने के बाद श्री बी0एस0 दूबे ने झूंकने से इनकार कर दिया और जिला कोषागारों की छानबीन का निर्देश सभी जिला अधिकारियें को उस समय जारी कर दिया, जब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी0 ए0जी0) द्वारा विगत 3 वर्षो का वित्तीय लेखा एवं अंकेक्षण का प्रतिवेदन दिसम्बर 1995 में बिहार विधान सभा के पटल पर रख दिया गया । इस प्रतिवेदन के आकड़ों से निकल रहे निष्कर्ष बादकी जांच में सम्पुष्ट हो गये ।